न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
150 / 2021 / प्रार्थना पत्र	2021 / 198	16.07.2024	18.02.2026

अनवान

1. नटवर सिंह पुत्र हिम्मत सिंह चारण निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2 श्याम सिंह पुत्र हिम्मत सिंह चारण निवासी गिरडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3. मु. तेज कंवर पत्नी हिम्मत सिंह चारण निवासी गिरडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4. मूलसिंह पुत्र गजराज सिंह चारण निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. गणेशलाल पिता खाना खारोल निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. छोटूलाल पुत्र खाना खारोल निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3. जानकीलाल पुत्र खाना खारोल निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4. धन्नालाल पुत्र खाना खारोल निवासी गिरडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5. बृजराज सिंह पुत्र गजराज सिंह चारण धारण निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6 शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, शाखा कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
7. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – श्री त्रिलोकचंद नौलखा –अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :– ग्राम गिरड़िया पटवार हल्का गिरड़िया तहसील शाहपुरा में प्रार्थीगण नं. 01 लगायत 03 के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 5804 रकबा 1.07 है. स्थित है। जो प्रार्थीगण नं. 01 लगायत 03 के कब्जे काश्त में होकर उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थीगण नं. 04 के खातेदारी अधिकार की आराजी नं. 805 / 1550 रकबा 0.15 है. गै.मु. आ. चा. व आराजी नं. 1169 रकबा 1.19 है. स्थित है। दोनों आराजियात् खातेदार प्रार्थीगण नं. 04 के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थीगण अपनी आराजियात् में गांव से निकलकर आम सड़क आराजी नं. 1712 / 813 रकबा 0.14 है. पर उत्तर से दक्षिण की ओर आते है। उक्त आम सड़क के पूर्वी दक्षिणी कोने से विपक्षीगण नं. 01 लगायत 04 की आराजी नं. 815 के उत्तरी पूर्वी कोने से आराजी नं. 815 की पूर्वी मेर से होते हुए विपक्षीगण नं. आराजी नं. 05 की आराजी नं. 822 रकबा 0.15 है. व आराजी नं. 821 रकबा 0.03 है. की पश्चिमी मेर से होते हुए विपक्षीगण नं. 06 की आराजी नं. 819 रकबा 0.74 है. के उत्तरी पश्चिमी कोने से प्रवेश करते हुए इसी आराजी के बीच में होते हुए दक्षिणी पूर्वी कोने से होकर आराजी नं. 808 रकबा 0.95 है. गै.मु. नाली से होते हुए प्रार्थीगण नं. 04 की आ.चा. पर अपने कृषि उपकरण लाते ले जाते रहे है। राजस्व नक्शे व प्रस्तावित रास्ते को दर्शाये गये नक्शे की नकल साथ में पेश है। विपक्षीगण नं. 01 लगायत 04 ने अपनी आराजी पर प्रार्थीगण द्वारा बताये गये रास्ते की जगह खड्डे खोदकर रास्ते को बन्द कर

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

दिया है, क्योंकि प्रार्थीगण नं. 01 लगायत 03 व विपक्षीगण नं. 01 लगायत 04 के मध्य आराजी नं. 804 के संबंध में विवाद चल रहा है। प्रार्थीगण नं. 04 का प्रार्थीगण नं. 01 लगायत 03 में रक्त संबंध होने के कारण रास्ता पैरा नम्बर 02 में बताया है, को जानबूझ कर तारीख 28.05.2021 को बन्द करते हुए बाधा उत्पन्न की है। इस कारण प्रार्थीगणों को प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई। विवाद के वाद पत्र की नकल साथ में पेश है। प्रार्थीगणों की आराजियात् पर आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता पैरा नं. 02 में बताये अनुसार ही है, इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगणों की आराजियात् में आने जाने हेतु नहीं है। प्रार्थीगणों को पैरा नं. 02 में बताये अनुसार रास्ता नहीं दिया गया तो प्रार्थीगणों की आराजियात् रास्ते के अभाव में काश्त नहीं हो पायेगी जिससे प्रार्थीगणों को काफी नुकसान होगा। प्रार्थीगण अपनी आराजियात् पर पैरा नं. 02 में बताये अनुसार रास्ता 15 फिट चौड़ाई का रास्ता दिलाये जाने का आदेश बक्षावें। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की भूमि की राशि जमा कराने को तैयार है। विपक्षीगण नं. 06 के यहां आराजियात् रहन होने से व विपक्षीगण नं. 07 लैण्ड होल्डर होकर उनकी आराजी में से भी रास्ता निकलने से पक्षकार बनाया गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 02 में बताये व नक्शे में बताये गये प्रस्तावित रास्ते के अनुसार रास्ता 15 फिट चौड़ाई का दिलाये जाने का आदेश बक्षावें। रास्ते की भूमि को विपक्षीगणों की आराजियात् में से कम किया जाकर गै.मु. रास्ते में दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व नक्शे में दर्ज कराये जाने का आदेश बक्षावें

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 व 7 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए जिन्हें नियत पेशी दिनांक 04.08.2021 को रेकार्ड पर लिया गया। विपक्षी संख्या 6 का सम्मन बाद तामिल लौटा जिसे दिनांक 31.08.2021 को रेकार्ड पर लिया गया। विपक्षीगण संख्या 5 व 6 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 कह ओर से अभिभाषक श्री शोभागमल कुमावत द्वारा अधिकार पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अभिभाषक प्रार्थीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। दिनांक 09.03.2022 को अभिभाषक श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा विपक्षी संख्या 05 की ओर से प्रस्तुत अधिकार पत्र को रेकार्ड पर लिया गया, प्रकरण विपक्षी संख्या 05 की ओर से दो तरफा कार्यवाही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के नियत किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 175 दिनांक 14.03.2022 से प्राप्त मौका रिपोर्ट को दिनांक 04.04.2022 को रेकार्ड पर लिया गया। दिनांक 21.02.2024 को अभिभाषक श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा विपक्षी संख्या 05 की ओर से दो तरफा कार्यवाही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी प्रति अभिभाषक प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाई गई। दिनांक 25.08.2025 को दो तरफा कार्यवाही प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने बाबत निवेदन किया। जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण जवाक विपक्षीगण संख्या 05 के प्रस्तुत करने के नियत किया गया। जवाब हेतु विपक्षी संख्या 05 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 18.02.2026 को जवाब बंद किया किया गया।

विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 804 में रास्ते की मांग की गई है। जबकि उक्त भूमि जो कि प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है, प्रार्थीगण द्वारा गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करायी गई है। उक्त भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है। विपक्षीगण जवाबदाता की भूमि में कोई रास्ता विद्यमान नहीं है व न की रहा है। वास्तविकता में आराजी नम्बर 804 जो कि खारोल समाज के लोगो की है व उन्हीं का कब्जा है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाही गई आराजी का रास्ता जो कि सालरिया खुर्द जाने वाले सड़क से होकर आराजी नम्बर 1191, 1192, 1167 नाली वाले रास्ते से होकर आते जाते है व वर्तमान में भी खारोल समाज के व्यक्ति इसी रास्ते से भूमि का अवागमन कर रहे है। मौके पर रास्ता मौजूद होते हुए भी केवल मात्र प्रार्थीगण एंव खारोल समाज के लोगों के मध्य भूमि के संबंध में विचाराधीन प्रकरण में साक्ष्य जुटाने की नियत से मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो खारिज योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया की नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि इसके अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है। तथा मार्ग की नितान्त आवश्यकता है। यह कि प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम रास्ता है। एवं रास्ते की मांग केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं की गई है। खसरा नम्बर 805/1550 व 804 में अन्य रास्ता नहीं है क्योंकि तालाब शेर सागर का पानी खसरा नम्बर 804 तक भरा हुआ है इसलिए अन्य रास्ता आराजी नम्बर 822 से 816, 818 तक चालू है तथा आने जाने के काम आ रहा है। भू0अ0निरीक्षक द्वारा ग्राम गिरड़िया पटवार हल्का गिरड़िया स्थित विपक्षीगण संख्या 05 की कृषि आराजियात 822 रकबा 0.15 है. में से 0.0152 हैक्टेयर (76 मीटर गुणा 2 मीटर/152 वर्ग मीटर) भूमि एवं विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 की आराजी संख्या 816 रकबा 1.09 है. में से 0.0152 हैक्टेयर (76 मीटर गुणा 2 मीटर/152 वर्ग मीटर) एवं 0.0160 है. (40 मीटर गुणा 4 मीटर/160 वर्ग मीटर) भूमि तथा बिलानाम आराजी संख्या 818 रकबा 0.84 है. में से 0.0208 हैक्टेयर (52 मीटर गुणा 4 मीटर/208 वर्ग मीटर) एवं 819 रकबा 0.74 है. में से 0.0496 है. (124 मीटर गुणा 4 मीटर/496 वर्ग मीटर) भूमि इस प्रकार कुल किता 4 रकबा 0.1168 है. (1168 वर्ग मीटर) भूमि नवीन रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थी के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिये जाने पर सहमति जताई

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:—

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :— प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। भू0अ0निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना, प्रार्थी को रास्ते की नितान्त आवश्यकता होना बताया है।
2. विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 द्वारा प्रस्तुत जवाब में आराजी नम्बर 804 में रास्ते की मांगी किया जाना अंकित किया है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 805/1550 पर पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है। जवाब में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता विद्यमान नहीं होना बताया है किन्तु भू0अ0निरीक्षक रिपोर्ट में उक्त रास्ता होना चालू होना व काम में लिया जाना बताया है। जिससे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी आराजी पर पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता के अभाव है एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही निर्बाध अवागमन के लिए निकटतम/सुगमतम रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि :—

वाके ग्राम गिरड़िया पटवार हल्का गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षीगण संख्या 05 की कृषि आराजियात 822 रकबा 0.15 है. में से 0.0152 हैक्टेयर (76 मीटर गुणा 2 मीटर/152 वर्ग मीटर) भूमि एवं विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 की आराजी संख्या 816 रकबा 1.09 है. में से 0.0152 हैक्टेयर (76 मीटर गुणा 2 मीटर/152 वर्ग मीटर) एवं 0.0160 है. (40 मीटर गुणा 4 मीटर/160 वर्ग मीटर) भूमि तथा बिलानाम आराजी संख्या 818 रकबा 0.84 है. में से 0.0208 हैक्टेयर (52 मीटर गुणा 4 मीटर/208 वर्ग मीटर) एवं 819 रकबा 0.74 है. में से 0.0496 है. (124 मीटर गुणा 4 मीटर/496 वर्ग मीटर) भूमि इस प्रकार कुल किता 4 रकबा 0.1168 है. (1168 वर्ग मीटर) भूमि की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि अप्रार्थीगण के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त नवीन रास्ता हेतु वांछित भूमि 0.0152 है0 को आराजी नम्बर 822 रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं 0.0152 है0 को आराजी नम्बर 816 रकबा 01.09 है0 तथा 0.0160 है0 को आराजी नम्बर 816 रकबा 1.09 है. एवं 0.0208 है. को आराजी नम्बर 818 रकबा 0.84 है. व 0.0496 है. आराजी नम्बर 819 रकबा 0.74 है0

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला- भीलवाड़ा (राज.)

में से कम करते हुए मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा के राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 18.02.2026 सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :–
तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि संबंधित विपक्षीगण खातेदारान को रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की राशि की गणना कर संबंधित खातेदार काश्तकारान को भुगतान किये जाने के उपरान्त आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा